

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, ककड़ा (अजमेर) राज.

Email ID - npkekri2011@gmail.com ☎(O) : 01467-220002, 220019 web site : www.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri






क्रमांक : न.पा.के./ प्र.शा.के.सं.अभि.-21 / 2022-23 / 1656

दिनांक : 29.06.2022

-: एम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 29.06.2022 की बैठक कार्यवाही विवरण :-

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 एवं पत्र क्रमांक प.17(1)नविदि/अभियान/2021/सं.मं. झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2022 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय नगरपालिका में आहूत की गई जिसमें अधिकृत कमेटी के निम्नांकित पदाधिकारी/सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1. श्री कमलेश कुमार साहू, अध्यक्ष, नगरपालिका केकड़ी।
2. श्री बसन्त कुमार सैनी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका केकड़ी।
3. श्री घासी लाल गुर्जर, सहायक अभियंता, नगरपालिका केकड़ी।
4. श्री भागचन्द बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार नगरपालिका केकड़ी।
5. सुश्री मंजुलता कुमारी, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका केकड़ी।

अध्यक्ष 
 सदस्य सचिव 
 सदस्य 
 सदस्य 
 सदस्य 

एम्पावर्ड कमेटी में कोरम पूरा होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगरपालिका केकड़ी की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव सं. 01 : कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार :-

अधिशासी अधिकारी ने कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रकरण कमेटी में रखे हैं जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक/पिता का नाम	खसरा संख्या		स्वीकृत योजना	भूखण्ड नम्बर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रयोजनार्थ
		नया	पुराना				
1	श्रीमति मधू शर्मा पत्नि अशोक कुमार	4059, 4063	3153, 3154	मोदी नगर तृतीय	26 का दक्षिणी भाग	91.79	आवासीय
2	श्री हरदेव कुमावत पुत्र उदारराम	2803, 2804	5347, 5342, 5343, 5344	गणपति नगर	31	111.52	आवासीय
3	श्री सुरेश सिन्धी पुत्र भगवान दास	3944	4351	ऋषभ प्रथम	39	139.40	आवासीय
4	श्री मकबूल खां पुत्र बशीर खां	6219, 9150/6219, 9151/6219, 9152/6219	2041 से 2044, 2047/1, 2048/1	विकास नगर	110	81.77	आवासीय
5	श्री रामकिशन गुर्जर, रामकुमार गुर्जर पुत्र रामसुख गुर्जर	3660, 3661	3474	पालीवाल नगर	8 का दक्षिणी भाग	195.16	आवासीय
6	श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नि पारस कुमार जैन	4254	2946, 2947, 2950	न्यू प्रेम नगर	44	92.84	आवासीय
7	श्रीमति इन्द्रा माली पुत्र बालकृष्ण माली	3996	3561	न्यू कल्याण	12, 13	95.14	आवासीय
8	तोहीद एज्युकेशनल वेलफेयर सोसायटी जरिये सदर व सैक्रेट्री	6219, 6150/6219, 9151/6219, 9152/6219	2041 से 2044, 2047/1, 2048/1	विकास नगर	22, 23, 25, 26	1202.34	आवासीय
9	तोहीद एज्युकेशनल वेलफेयर सोसायटी जरिये सदर व सैक्रेट्री	6219, 6150/6219, 9151/6219, 9152/6219	2041 से 2044, 2047/1, 2048/1	विकास नगर	25	47.15	आवासीय

उक्त पत्रावलियों का क्र.सं. 1 से 9 तक कमेटी द्वारा एक-एक कर अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि क्रम संख्या 1 से 9 तक पत्रावलियों में दस्तावेजों की पूर्ति, कनिष्ठ अभियंता मौका रिपोर्ट व स्वीकृत ले-आउट प्लान में होने से सभी पत्रावलियों के पट्टे जारी करने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव सं 02 :- राजस्वग्राम अजगरी तहसील सरवाड नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी स्थित आराजी खसरा नं. 274 के रकबा 1.24 है. को 60 फीट चौड़ा पंधुचमार्ग उपलब्ध करवाने हेतु राजस्व रास्ते को 60 फीट करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार :-

कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्वग्राम सरसडी तहसील सरवाड व नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित आराजी खसरा नं. 274 के रकबा 1.24 है. में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ धारा 90क के अन्तर्गत अनुज्ञा व आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन में आवेदित भूमि को राजस्व रास्ता जिसकी चौड़ाई 30, 31 फीट होने से नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 अनुसार न्यूनतम 60 फीट पंधुचमार्ग आवश्यक होने से राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना एफ3(77)न्म्/3/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2020 में जारी दिशा निर्देशानुसार 90 ए की कार्यवाही ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु पंधुचमार्ग की न्यूनतम मार्गधिकार एवं प्रस्तावित मार्गधिकार हेतु प्रावधान के लिए बिन्दु सं. 3 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर विद्यमान सडक की न्यूनतम चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। पालिका द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार आराजी खसरा नं. 172, 175/633, 171, 151, 153, 160, 159, 161, 170, 174, 179, 293, 292, 288, 287, 691/285, 692/285, 296, 300, 282, 279,709/301, 261, 705/621, 259, 258, 262, 263, 268, 267, 274, 275, 251, 250, 264, 171 में से व्यापक जनहित में 60 फीट चौड़ा सडक मार्गधिकार सुनिश्चित करने के लिए आमसूचना का प्रकाशन राष्ट्रदूत समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। अन्दर मियाद कोई आपत्ति दर्ज नहीं होने से पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट एवं वरिष्ठ प्रारूपकार की अभिशंसा अनुसार व्यापक जनहित में राजस्व रास्ता की चौड़ाई 30.31 फीट के स्थान पर 60 फीट चौड़ी की जाने की राय अनुसार राजस्व सडक का 60 फीट मार्गधिकार निर्धारित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

प्रस्ताव सं 03 :- राजस्वग्राम अजगरी तहसील सरवाड नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी स्थित आराजी खसरा नं. 763/539 रकबा 2.43 है. को 60 फीट चौड़ा पंधुचमार्ग उपलब्ध करवाने हेतु राजस्व रास्ते को 60 फीट करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार :-

कमेटी ने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्वग्राम अजगरी तहसील सरवाड नगरीय क्षेत्र नगरपालिका केकडी में स्थित आराजी खसरा नं. 736/539 के रकबा 2.43 है. में कुटीर उद्योग प्रयोजनार्थ धारा 90क के अन्तर्गत अनुज्ञा व आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन में आवेदित भूमि का राजस्व रास्ता जिसकी चौड़ाई 30.31 फीट होने से नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना 10.08.2020 के अनुसार न्यूनतम 60 फीट चौड़ा पंधुचमार्ग आवश्यक होने से राजस्थान सरकार के नगरीय विकास विभाग एवं आवास विभाग की अधिसूचना एफ3(77)न्म्/3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2020 में जारी दिशा निर्देशानुसार 90 ए की कार्यवाही ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु पंधुचमार्ग की न्यूनतम मार्गधिकार एवं प्रस्तावित मार्गधिकार हेतु प्रावधान के लिए बिन्दु सं. 3 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर विद्यमान सडक की न्यूनतम चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। पालिका द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार आराजी खसरा नं. 148, 339, 147, 144, 309, 334, 310, 312, 313, 323, 332, 333, 321, 554, 553, 552, 315, 551, 549, 548, 498, 546, 540, 499, 503, 504, 513, 476, 515, 537, 535, 138, 131, 736/539, 735/539, 514 में से व्यापक जनहित में 60 फीट चौड़ा सडक मार्गधिकार सुनिश्चित करने के लिए आमसूचना का प्रकाशन राष्ट्रदूत समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। अन्दर मियाद कोई आपत्ति दर्ज नहीं होने से पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट एवं वरिष्ठ प्रारूपकार की अभिशंसा अनुसार व्यापक जनहित में राजस्व रास्ता की चौड़ाई 30.31 फीट के स्थान पर 60 फीट चौड़ी की जाने की राय अनुसार सडक का 60 फीट मार्गधिकार निर्धारित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

प्रस्ताव सं. 04 : नामान्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों पर विचार :-

अधिकांश अधिकारी ने नाम हस्तान्तरण के प्रकरण कमेटी में रखे है जो निम्नानुसार है :-

1. श्री संदीप पारीक पुत्र श्री कैलाशचन्द पारीक निवासी शाह कॉलोनी द्वितीय राजपुरा का रास्ता प्लाट नं. 16 केकडी।
2. श्रीमति मन्जू सैनी पत्नि श्री राजेन्द्र सैनी निवासी राजपुरा रोड केकडी।
3. श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा निवासी कल्याण कॉलोनी अजमेर रोड केकडी।
4. श्रीमति मुन्नी देवी पत्नि श्री रामकिशोर गोयल निवासी छगनपुरा जुनिया गेट के बाहर केकडी।
5. श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री रतनलाल मितल निवासी सदर बाजार घंटाघर के पास केकडी।
6. श्रीमति मधू देवी पीपाडा पत्नि श्री पुखराज महाजन जैन निवासी वर्धमान कॉलोनी सांपन्दा रोड प्लाट नं. 22 केकडी।
7. श्रीमति भंवर कंवर पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह गौड निवासी चापानेरी।
8. श्रीमति प्रीती झंवर पत्नि श्री अमित बसेर निवासी बालाजी नगर कॉलोनी ढण्ड का रास्ता केकडी।
9. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी पुत्र श्री जगदीश चौधरी निवासी प्लाट नं. 14 कल्याण कॉलोनी अजमेर रोड केकडी।
10. श्रीमति यशोदा लोधा पत्नि श्री दुर्गालाल लोधा निवासी भाग्योदय नगर चतुर्थ।
11. श्री यासीन मोहम्मद खिलजी पुत्र श्री खाजू खॉं निवासी कादेडा रोड चौराहा केकडी।
12. श्री राजकुमार पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र मूल चन्दानी, श्रीमति धनवन्ती पत्नि श्री राजकुमार मूलचन्दानी निवासी कोर्ट केम्पस के सामने केकडी।
13. श्रीमति शंकुन्तला पारीक पत्नि श्री गौरी शंकर पारीक निवासी जयपुर रोड केकडी में पालिका द्वारा जारी शाश्वत लीज माफ 174 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण सशर्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
14. मानी देवी, सत्यनारायण, कृष्णगोपाल, सन्तरा, विमला, उगमा लाल पुत्र श्री लादूराम कुमावत निवासी चौधरी कॉलोनी कृषि उपज मंडी केकडी।
15. श्री घासीलाल पुत्र श्री रंगलाल निवासी जयपुर रोड केकडी।
16. श्री लालाराम पुत्र श्री केसर लाल माली निवासी बघेरा तह. केकडी।
17. श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री अब्दूल रहमान निवासी भट्टा बस्ती केकडी।

18. श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री अब्दूल रहमान निवासी भट्टा बस्ती केकडी।
19. श्री शांती कुमार पुत्र पूरण मल पांडिया निवासी बलाई मोहल्ला केकडी।
20. श्री शांती कुमार पुत्र पूरण मल पांडिया निवासी सदर बाजार केकडी।
21. श्री बीना वर्मा पत्नि स्व. श्री हरीशचन्द्र बलाई, श्री वेदान्त पुत्र स्व. श्री हरीशचन्द्र बलाई, श्री केशव पुत्र स्व. श्री हरीशचन्द्र बलाई निवासी न्यू जगदीश कॉलोनी अजमेर रोड केकडी।
22. श्रीमति सावित्री देवी पत्नि श्री रामेश्वर लाल छीपा निवासी न्यू प्रेम नगर राजपुरा रोड केकडी।
23. श्रीमति सुमन लता पुत्री श्री रवि प्रकाश कोशिक निवासी प्लाट 18 शाह कॉलोनी द्वितीय राजपुरा रोड केकडी।
24. श्री अनुराग माथुर पुत्र श्री बेदप्रकाश कायस्थ माथुर निवासी अजमेर रोड ईदगाह के पीछे प्रकाश कॉलोनी प्लाट नं. 19 केकडी।
25. श्रीमति सुमन लता पत्नि श्री रामअवतार मीणा, श्री रामअवतार मीणा पुत्र श्री रामदेव मीणा निवासी सीतारामपुरा टोंक।
26. श्री राजेश, श्री राकेश, श्री अभिनन्दन पुत्र श्री रामप्रसाद डागा निवासी बोधरा कॉलोनी केकडी।
27. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह निवासी बडा गुवाडा केकडी।
28. श्री लादूराम पुत्र श्री मूलचन्द कोली निवासी शिवाजी नगर कॉलोनी।
29. श्री भगवान दास पुत्र श्री भूरालाल, श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रामनारायण, श्री अभिषेक पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, श्री महावी पुत्र श्री रामगोपाल, अश्विनी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण महाजन निवासी सब्जी मण्डी केकडी।
30. श्री बबलू पुत्र श्री लादूराम खटीक निवासी जगदम्बा कॉलानी डोराई का रास्ता केकडी।
31. श्री भंवर सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी न्यू नन्दनगर डोराई का रास्ता केकडी।
32. श्रीमति चांद कंवर पत्नि श्री निहालचन्द, श्री निहालचन्द पुत्र श्री चन्द्रसिंह जैन निवासी प्रेम नगर कॉलोनी राजपुरा रोड केकडी।
33. श्री मिश्री लाल दूबे मेमोरियल संस्थान पटेल ग्राउण्ड एम.एल.डी. स्कूल के पास केकडी।
34. श्री नवीन कुमार पुत्र स्व. श्री भागचन्द गंगवाल, श्री सूरज भान सिंह व श्री नवरतन सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह राठौड निवासी माण्डल देवा तोपदडा अजमेर।
35. श्री नवीन कुमार पुत्र स्व. श्री भागचन्द गंगवाल, श्री सूरज भान सिंह व श्री नवरतन सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह राठौड निवासी माण्डल देवा तोपदडा अजमेर।

कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों में सम्मिलित दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2020 के अन्तर्गत एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में जारी आदेश दिनांक 29.10.2021 के अनुसार नाम हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं. 05 : नियम 69ए के तहत पट्टे प्राप्त करने हेतु प्राप्त पत्रावलियों पर विचार :-

अधिसासी अधिकारी ने नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए के तहत पट्टे प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदन/प्रकरण कमेटी में रखे है जो निम्नानुसार है :-

1. श्री रोडू पुत्र श्री धन्नालाल रेगर निवासी रेगर मोहल्ला केकडी।
2. श्रीमति सोहनी देवी पत्नि श्री हंसराज नायक निवासी नायकों की गली पुरानी केकडी।
3. अपेक्षा जैन, मीनू लोढा/रोहित कुमार, मनीश कुमार निवासी अस्थल मोहल्ला केकडी।
4. श्री रतन लाल पुत्र श्री रामदेव माली निवासी माली मोहल्ला पुरानी केकडी।
5. श्री रामकिशन माली पुत्र श्री रामदेव निवासी माली मोहल्ला पुरानी केकडी।
6. श्री महावीर माली पुत्र श्री रामदेव माली निवासी माली मोहल्ला पुरानी केकडी।
7. श्री घनश्याम पुत्र श्री गोविन्दा रेगर निवासी भेरू गेट कुम्हार मोहल्ला केकडी।
8. श्री मोहनलाल पुत्र श्री गोकल रेगर निवासी भेरू गेट रेगरान मोहल्ला केकडी।
9. श्री भाति कुम्हार पुत्र श्री पूरणचन्द, श्री कमला देवी पत्नि श्री भाति कुमार निवासी सरावगी मोहल्ला केकडी।
10. श्री राजेश कुमार विजयवर्गीय पुत्र श्री रामसहाय निवासी भेरू गेट केकडी।
11. श्री बिरदीचन्द रेगर पुत्र श्री गोकुल रेगर निवासी रेगरान मोहल्ला भेरू गेट केकडी।
12. श्रीमति ज्ञानी देवी पत्नि श्री बदरी लाल माली निवासी माली मोहल्ला पुरानी केकडी।
13. श्रीमति सुगना देवी पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह निवासी बडा गुवाडा भेरू गेट केकडी मास्टर प्लान में रोड सीमा में होने से निरस्त।
14. श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री भौतान सिंह निवासी बडा गुवाडा भेरू गेट केकडी मास्टर प्लान में रोड सीमा में होने से निरस्त।

कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। जिसमे क्रम संख्या 1 से 12 तक पत्रावलियों में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर, कनिष्ठ अभियंता तथा वरिष्ठ प्रारूपकार की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियम 69ए के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। साथ ही क्रम संख्या 13 व 14 पत्रावलियों में आवेदित भूमि मास्टर प्लान में रोड सीमा में होने के कारण पत्रावलीयां निरस्त किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।




स्ताव 06 :- भवन निर्माण स्वीकृति के प्राप्त आवेदनों पर विचार :-


अधिकांश अधिकारी ने भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरण कमेटी में रखे हैं जो निम्नानुसार है :-


1. श्रीमति सुमनलता पत्नि श्री रामअवतार मीणा निवासी न्यू नन्द नगर केकडी।
2. श्री रतन लाल बैरवा पुत्र श्री लादूराम बैरवा, ऋषभ कॉलोनी द्वितीय।
3. श्रीमति जानकी देवी पत्नि महावीर सोनी, विकास नगर चतुर्थ ब्यावर रोड केकडी।
4. श्री सुरेन्द्र सोनी पुत्र आनन्द सोनी, न्यू आर. के. कॉलोनी द्वितीय ब्यार रोड केकडी।
5. श्री अजय कुमार शाह पुत्र प्रेमचन्द शाह, कल्याण कॉलोनी अजमेर रोड केकडी।
6. श्री रमेश कुमार नोगिया पुत्र रामसुख रेगर, मोदी नगर द्वितीय डोराई का रास्ता केकडी।
7. श्री शिवराज मेवाडा पुत्र रतनलाल, वी.एम. कॉलोनी राजपुरा रोड केकडी।
8. श्री शिवराज मेवाडा पुत्र रतनलाल, अजमेर रोड प्लाट नं. 3 केकडी।
9. श्री भोमाराज पुत्र मथूरा, ग्राम रतनपुरा प्लाट नं. 61 रतन नगर
10. श्री वेभव स्वर्णकार पुत्र शक्ति स्वर्णकार, प्लाट नं. 27 आर. के. कॉलोनी द्वितीय ब्यावर रोड केकडी।
11. श्रीमति सुनिता बाहेती पत्नि महेन्द्र बाहेती, प्लाट नं. 43 कल्याण कॉलोनी केकडी।
12. श्री शिवराज मेवाडा पुत्र रतनलाल मेवाडा, न्यू कल्याण कॉलोनी प्लाट नं. 4 केकडी।
13. श्री तोसीफ अहमद पुत्र रफीक अहमद, प्लाट नं. 89, 92 विकास नगर बघेरा मण्डा रोड केकडी।
14. श्री दानिश अहमद पुत्र रफीक अहमद, प्लाट नं. 90, 91 विकास नगर कॉलोनी केकडी।
15. श्री बच्छराज माली पुत्र हीरालाल माली, श्री सत्यनारायण माली पुत्र हीरालाल माली, प्लाट नं. 01 व 04 नृसिंह कॉलोनी सापुन्दा रोड केकडी।
16. श्री जावेद खान पुत्र मनान हुसेन, प्लाट नं. 11 शान्ति कॉलोनी बघेरा रोड केकडी।
17. श्री मोहम्मद शाबान पुत्र शरफुद्दीन, प्लाट नं. 9, 10 शांति कॉलोनी केकडी।
18. श्री रोशन लाल खिंची पुत्र गिरधारी लाल खिंची, काजीपुरा शिव नगर केकडी।
19. श्री सुरेश माली पुत्र राधेश्याम माली, प्लाट नं. 16 कंचन कॉलोनी राजपुरा रोड केकडी।
20. श्री किशन गोपाल नामा पुत्र गोकुल चन्द नामा, प्लाट नं. 26 अजमेर रोड कल्याण कॉलोनी केकडी।


उक्त प्रत्येक पत्रावलीयों का कमेटी द्वारा अवलोकन किया जाकर जिसमे क्रम संख्या 1 से 20 तक पत्रावलीयों में संलग्न दस्वावेजों के आधार पर, कनिष्ठ अभियंता तथा वरिष्ठ प्रारूपकार की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

इसके पश्चात् सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।


(कमलेश कुमार साहू)
अध्यक्ष
नगरपालिका केकडी


(घासी लाल गुर्जर)
सहायक अभियन्ता
नगर पालिका, केकडी


(बसन्त कुमार सैनी)
अधिकांश अधिकारी
नगरपालिका केकडी


(मानो चन्द बैरवा)
कनिष्ठ लेखाकार
नगरपालिका केकडी



(मन्जूलता कुमारी)
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका केकडी

क्रमांक : न.पा.के./ प्र.शा.के.सं.अभि.-21 / 2022-23 / 1657-1660

दिनांक : 29.06.2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
3. श्रीमान् सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, अजमेर।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका केकडी।
5. सम्बन्धित शाखा प्रभारी, नगरपालिका केकडी।
6. संरक्षित पत्रावली।


(बसन्त कुमार सैनी)
सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
एवं अधिकांश अधिकारी
नगरपालिका केकडी